JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brlp.in

कार्यालय आदेश

(निबंधित प्राथमिक सहकारी समितियों के वार्षिक आम सभा हेतु)

बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) संपोषित कुल 357 संकुल स्तरीय संगठनों, 18 जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र एवं 52 फेडरेशन (जीविका द्वारा सहयोजित) का निबंधन बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समिति के रूप में हुआ है । सहकारी समितियों को सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हुए ससमय आवश्यक वैधानिक अनुपालन जैसे वार्षिक वित्तीय अंकेक्षण, वार्षिक आमसभा का आयोजन, वार्षिक विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है ।

बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 एवं समितियों के निबंधित उपविधि अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक आम सभा का आयोजन अनिवार्य है । वार्षिक आम सभा के अंतर्गत समिति वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, अंकेक्षित वित्तीय विवरण, वार्षिक कार्य योजना एवं अनुमानित वार्षिक बजट सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

वार्षिक आम सभा

वार्षिक आम सभा द्वारा समिति/प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र में कुशल प्रशासन, सुदृढ़ एवं पारदर्शी संस्थागत प्रणाली और सदस्यों से सीधे संवाद स्थापित होगा तथा सदस्यों में समिति/ संगठन के प्रति विश्वास, जुड़ाव, और उत्तरदायित्व की भावना बनी रहती है ।

बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 एवं उपविधियाँ अधीन प्रावधान के अनुसार प्रत्येक समिति का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अन्दर लेखा-जोखा का अंकेक्षण होना आवश्यक है । वार्षिक आम सभा में कुल सदस्यों के 1/5 की गणपूर्ति (कोरम) का पालन अनिवार्य है ।

ससमय आवश्यक वैधानिक अनुपालन हेतु वार्षिक आम सभा का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितम्बर तक किया जाना जाएगा। सभी समितियों द्वारा वार्षिक विवरणी प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक संबंधित निबंधक को समर्पित करना अनिवार्य है । समितियों को वार्षिक आम सभा आयोजन में सहयोग हेतु रणनीति एवं कार्य योजना निम्न होगी :

क्रम.	गतिविधि	अवधि	मुख्य जिम्मेवारी
1.	वार्षिक आम सभा हेतु जिला प्रशिक्षण प्रबंधक एवं प्रशिक्षण अधिकारी का एक दिवसीय उन्मुखीकरण	31 अगस्त, 2022	राज्य परियोजना प्रबंधक- संस्थानिर्माण एवं क्षमता वर्धन, परियोजना प्रबंधक - संस्था निर्माण, रिसोर्स पर्सन
2.	वार्षिक आम सभा हेतु जिला स्तरीय एक दिवसीय उन्मुखीकरण (सामुदायिक वित्त, प्रखण्ड मेंटर, प्रखंड परियोजना प्रबंधक)		प्रबंधक - संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण अधिकारी
3.	अंकेक्षक की नियुक्ति एवं शुल्क निर्धारण		जिला परियोजना प्रबंधक एवं जिला स्तरीय समिति
4.	समिति का वित्तीय अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन (सहकारिता विभाग अंतर्गत सूचीबद्ध अंकेक्षक द्वारा)		प्रबंधक - सामुदायिक वित्त
5.	वार्षिक आम सभा हेतु समिति के निदेशक मंडल का उन्मुखीकरण एवं बैठक, अंकेक्षण आपति निराकरण योजना प्रतिवेदन, सदस्यों को सूचना प्रेषित करना (सम्बंधित CM एवं BK के माध्यम से)	1- 5 सितम्बर, 2022	प्रखंड परियोजना प्रबंधक / प्रखण्ड मेंटर (प्रबंधक - संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण अधिकारी टीम के सहयोग से) प्रबंधक - सामुदायिक वित्त (अंकेक्षक के सहयोग से) CLF - एंकर पर्सन (समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में)

6.	वार्षिक आम सभा हेतु आवश्यक तैयारी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना		प्रखण्ड मेंटर, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, CLF - एंकर पर्सन (प्रबंधक - संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण अधिकारी टीम के सहयोग से)
7.	वार्षिक आम सभा हेतु आवश्यक तैयारी- वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन एवं आगामी अनुमानित बजट तैयार करना		प्रखंड परियोजना प्रबंधक, CLF - एंकर पर्सन (प्रबंधक-सामुदायिक वित्त के सहयोग से)
8.	वार्षिक आम सभा का आयोजन	15- 23 सितम्बर, 2022	प्रखण्ड मेंटर, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, CLF - एंकर पर्सन,
9.	वार्षिक विवरणी दाखिला	30 सितम्बर, 2022	प्रखंड परियोजना प्रबंधक / प्रखण्ड मेंटर (प्रबंधक-सामुदायिक वित्त के सहयोग)
10.	अंकेक्षण शुल्क भुगतान (समितियों द्वारा)	1-7 अक्टूबर, 2022	प्रखंड परियोजना प्रबंधक / प्रखण्ड मेंटर (प्रबंधक- सामुदायिक वित्त/ प्रबंधक- वित्त के सहयोग से)

जिला स्तरीय निबंधित प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र का वार्षिक आम सभा हेतु उपरोक्त गतिविधियों के लिए मुख्य जिम्मेवारी प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र – कोऑर्डिनेटर, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र – प्रशिक्षण फैसिलिटेटर, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल की होगी। उपरोक्त कार्यों में प्रबंधक - संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन एवं प्रबंधक- सामुदायिक वित्त सहयोग करेंगे।

कार्यालय आदेश BRLPS/Proj-IBCB/1042/16/3338 दिनांक 12.12.2018 **(A. Operational Budget-4. CLF GB Meeting)** के आलोक में प्रत्येक निबंधित संकुल स्तरीय संगठन/ समिति को **वार्षिक आम सभा आयोजन हेतु 10000/- (दस हजार रूपये)** एवं File no. BRLPS/Project/454/13/Vol-II, N-2, दिनांक 16.09.2018 **(A. Operational/ Recurring Cost- 6. TLC GB Meeting)** के आलोक में प्रत्येक प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र/ समिति को **15000/- (पन्द्रह हजार रूपये)** जिला परियोजना इकाई द्वारा समितियों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त गतिविधियों का सफल संचालन कर सभी समितियों का आवश्यक वैधानिक अनुपालन ससमय सुनिश्चित करेंगे। सम्बंधित जिला परियोजना प्रबंधकों सभी समितियों के वैधानिक अनुपालन के सात दिनों के भीतर वार्षिक आम सभा संबंधी प्रतिवेदन राज्य परियोजना इकाई (SPMU-IBCB) को प्रेषित करेंगे।

(राहुल कुमार)

(मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह राज्य मिशन निदेशक)

अनुलग्नक :
1. वार्षिक आम सभा की प्रक्रिया (Annexure-I)
2. निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही (Annexure-II)
3. सूचना बही प्रारूप (Annexure-III)

प्रतिलिपि :
1. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/अधिप्राप्ति विशेषज्ञ
2. सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक/ सहायक वित्त प्रबंधक
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ विषयगत प्रबंधक/ प्रबंधक क्षमता वर्धन/ प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक/ समिति प्रबंधक
4. सभी सम्बंधित संकुल स्तरीय संगठन / समिति
5. सूचना एवं तकनीकी अनुभाग
6. सम्बंधित संचिका

Annexure-I

वार्षिक आम सभा

वार्षिक आम सभा :

अधिनियम एवं उपविधि के अधीन समिति की सभी शक्ति आम सभा/ सामान्य निकाय में निहित होती है और समिति का वार्षिक आम सभा प्रत्येक वित्तीय/ लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अवश्य होगी ।

A. वार्षिक आम आयोजन पूर्व तैयारी :

B. **वैधानिक अंकेक्षण :** वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर समिति की वित्तीय अंकेक्षण सहकारिता विभाग अंतर्गत सुचीवद्ध अंकेक्षण द्वारा कराया जाता है ।

C. **निदेशक मंडल की बैठक :** वार्षिक आम सभा आयोजन निदेशक मंडल का उतरदायित्व है । अंकेक्षण के बाद निदेशक पर्षद/ मंडल की बैठक आयोजित होगी जिसमें वार्षिक आम सभा संबंधी एजेंडा पर चर्चा होगी और यदि अंकेक्षण में किसी प्रकार की आपति है तो निराकरण की योजना बनेगी । अंकेक्षण से तीस दिनों के अन्दर अंकेक्षण आपतियों का निराकरण करना अनिवार्य है जिसे वार्षिक आम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।

निदेशक पर्षद/ मंडल बैठक का मुख्य एजेंडा :

i. वार्षिक आम सभा आयोजन का दिनांक, स्थान, समय ।
ii. वार्षिक आम सभा हेतु एजेंडा तैयार करना ।
iii. अंशधारियों को सूचना- निदेशक मंडल के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा आमसभा की सूचना (नियत की गई तारीख, समय और स्थान तथा उसमें सम्पादित होने वाले कार्यों का उल्लेख सहित) लिखित रूप से डाक/ कुरियर/ स्थानीय सुपुर्दगी के अधीन सभी अंशधारियों/ हिस्साधारियों को सभा की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजा जाएगा । डाक/ कुरियर/ स्थानीय सुपुर्दगी सूचना देने का निर्णायक साक्ष्य होगा ।
iv. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी कार्य योजना को तैयार करना – वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेवारी सचिव की होती है । इस कार्य हेतु समिति के सचिव द्वारा CLF- बुक कीपर, सभी क्लस्टर फैसिलिटेटर का सहयोग लिया जाएगा ।
v. अंकेक्षण आपति निराकरण योजना- अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने से 30 दिनों के अन्दर अंकेक्षक आपति निराकरण आवश्यक है या वार्षिक आम सभा में अंकेक्षण आपति निराकरण योजना प्रस्तुत कर अनुमोदन लिया जाएगा ।
vi. आगामी अनुमानित बजट तैयार करना – आगामी अनुमानित बजट कोषाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जाएगा और वार्षिक आम सभा में अनुमोदन होगा ।
vii. वार्षिक आम सभा हेतु आवश्यक व्यवस्था जैसे सदस्यों का निबंधन, जलपान, पानी, टेंट, फ्लेक्स, इत्यादि- निदेशक मंडल वार्षिक आम सभा हेतु आवश्यक व्यवस्था के लिए प्रोकुरमेंट (अधिप्राप्ति) उपसमिति, निदेशक मंडल के सदस्यों और अपने कार्यकर्ताओं में जिम्मेदारी का बँटवारा करेगा ।
viii. अंकेक्षक की नियुक्ति एवं अंकेक्षक शुल्क पर विचार।
ix. निमंत्रण – अध्यक्ष द्वारा सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थाओं, प्रवर्तक संस्था (जीविका) के जिला एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों को 15 दिन पूर्व आमंत्रण पत्र दिया जाएगा ।
x. स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन को पुरस्कार – मासिक प्रतिवेदन की श्रेणीकरण एवं अन्य उपलब्धियों जैसे - संतृप्ता, जीविकोपार्जन, विभिन्न योजनाओं से जुड़ाव आदि के आधार पर स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन को पुरस्कृत किया जाएगा ।

A. वार्षिक आम सभा के दौरान :

वार्षिक आम सभा के दौरान एजेंडा विस्तृत चर्चा और सदस्यों द्वारा अनुमोदन, समिति के प्रति सदस्यों का विश्वास एवं उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता बढ़ती है । वार्षिक आम सभा के दौरान ध्यान देने योग्य मुख्य बिन्दु :

i. सदस्यों का पंजीकरण ।
ii. प्रार्थना एवं परिचय ।
iii. दीप प्रज्ज्वलन ।
iv. अध्यक्ष द्वारा संबोधन- सदस्यों के स्वागत के बाद अध्यक्ष द्वारा सहकारिता के सात सिद्धांतों और वार्षिक आम सभा के उद्देश्य एवं सदस्यों के कार्यों को बताया जाएगा ।
v. अतिथियों/ आगंतुक द्वारा संबोधन ।
vi. सचिव द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष का प्रगति प्रतिवेदन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।
vii. कोषाध्यक्ष द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष का अंकेक्षित लेखा-जोखा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।
viii. सचिव द्वारा आगामी वर्ष की कार्य योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।
ix. कोषाध्यक्ष द्वारा अंकेक्षण आपति अनुपालन प्रतिवेदन एवं आगामी वर्ष का अनुमानित बजट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।
x. अंकेक्षक की नियुक्ति एवं शुल्क- अंकेक्षक की नियुक्ति एवं शुल्क के अनुमोदन हेतु आम सभा में प्रस्तुत होगा ।
xi. समनुषंगी/ सहायक संगठन का अनुमोदन- समनुषंगी/ सहायक संगठन की सूची को आम सभा समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत होगा ।

xii. निर्वाचित निदेशक मंडल (बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार) का कार्यकाल, यदि निर्वाचन हो चुका हो – वार्षिक आम सभा में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचित निदेशक मंडल का कार्यकाल चुनाव परिणाम तिथि से पांच वर्ष का होगा, अनुमोदित होगा।

xiii. निदेशक मंडल के निर्वाचन पर विचार (यदि निर्वाचन लंबित हो)

xiv. निदेशकों, पदधारियों एवं कार्यकर्ताओं के लिए आचार-संहिता बनाना- निदेशक मंडल द्वारा तैयार निदेशकों एवं पदधारियों के लिए आचार-संहिता सचिव द्वारा प्रस्तुत होगा और अनुमोदन होगा।

xv. विवरणी दाखिला- वार्षिक आम सभा में विवरणी दाखिला का अनुमोदन होगा।

xvi. विजनिंग पर चर्चा- जीविका द्वारा सहभागी पद्धति से किये गये विजनिंग अभ्यास पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

xvii. स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन को विशेष उपलब्धि हेतु पुरस्कार दिया जाएगा।

नोट : समिति के वार्षिक आम सभा में के केवल समिति के निदेशक मंडल के सदस्य मंचासीन रहेंगे। प्रत्येक प्रस्ताव के निर्णय एवं अनुमोदन को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाना आवश्यक है।

B. वार्षिक आम सभा उपरांत :

वार्षिक आम सभा के बाद सहायक निबंधक कार्यालय में वार्षिक विवरणी दाखिला 30 सितम्बर तक जमा करना एवं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही को प्रत्येक अंशधारी को प्रेषित करना आवश्यक है।

विवरणी दाखिल करना :-

समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर (30 सितम्बर तक), निबंधक के समक्ष वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे-

i. वार्षिक कार्यकलाप/ प्रगति का प्रतिवेदन
ii. लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण एवं अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन
iii. वार्षिक आम सभा हेतु निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही
iv. सूचना बही/ कुरियर/ डाक की प्रति
v. आगामी वर्ष की कार्ययोजना
vi. आगामी अनुमानित बजट

Annexure-II

निदेशक मंडल की बैठक

आज दिनांक .... दिन.......................... को ...... बजे अपराह्न/ पुर्वाहन में वार्षिक आम सभा आयोजन हेतु .... जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, ... के निदेशक मंडल/निदेशक पर्षद की बैठक .... (स्थान) में हुई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

क्रम सं	निदेशक मंडल/ निदेशक पर्षद सदस्य का नाम	हस्ताक्षर/अंगूठा
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

श्रीमती/सुश्री.. की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई जिसमें विचार-विमर्श के उपरांत निम्न प्रस्तावों पर निर्णय लिये गये :

प्रस्ताव-1 (वार्षिक आम सभा आयोजन पर विचार)
चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति की वार्षिक आम सभा का आयोजन दिनांक .... दिन ....को.............बजे अपराह्न/पुर्वाहन से .... (स्थान) पर आयोजित होगी।

प्रस्ताव संख्या- 02 (वार्षिक आम सभा के एजेंडा पर विचार)

चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्षिक आम सभा का मुख्य एजेंडा निम्न होगा जो आम सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा -

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंकेक्षण/ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं आगमी वर्ष 2022-23 का अनुमानित बजट
3. वित्तीय अंकेक्षण (वर्ष 2021-22) आपति अनुपालन प्रतिवेदन
4. अंकेक्षक की नियुक्ति, एवं शुल्क (वित्तीय वर्ष 2021-22)
5. समनुषंगी संगठन/ सहायक संगठन के अस्तित्व पर विचार एवं अनुमोदन
6. निर्वाचित निदेशक मंडल के कार्यकाल पर विचार एवं अनुमोदन (यदि निर्वाचन हुआ हो)
7. निदेशक मंडल के निर्वाचन पर विचार (यदि निर्वाचन लंबित हो)
8. निदेशकों, पदधारियों एवं कार्यकर्ताओं हेतु आचार संहिता पर विचार एवं अनुमोदन
9. सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी के साथ नये सदस्यों को समिति से जोड़ने पर विचार
10. वार्षिक विवरणी दाखिला पर विचार एवं अनुमोदन
11. विजनिंग पर चर्चा एवं अनुमोदन (केवल मॉडल संकुल स्तरीय संगठन हेतु)
12. समिति एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) के साथ अनुबंध पर विचार
13. स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन को विशेष उपलब्धि हेतु पुरस्कार दिया जाना

प्रस्ताव संख्या- 03 (अंशधारी/ हिस्साधारी सदस्यों को सूचना)

निदेशक मंडल के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा आमसभा की सूचना नियत की गई तारीख, समय और स्थान तथा उसमें सम्पादित होने वाले कार्यों का उल्लेख सहित लिखित रूप से डाक/ कुरियर/ स्थानीय सुपुर्दगी के अधीन सभी अंशधारियों/ हिस्साधारियों को सभा की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है ।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित सूचना स्थानीय सुपुर्दगी के माध्यम से सभी सदस्यों/ अंशधारियों/ हिस्साधारियों को वार्षिक आम सभा में संपादित होने वाले कार्यों के उल्लेख के साथ भेजा जाये और इसके लिए श्रीमती ...., सचिव को अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या- 04 (अंकेक्षण आपति अनुपालन पर विचार)

वित्तीय वर्ष .... के अंकेक्षण में अंकेक्षक द्वारा आपति दर्शायी गयी है जिसका ससमय अनुपालन सुनिश्चित करना वैधानिक बाध्यता है । अंकेक्षक आपति निम्न है-

1. ....
2. ....
3. ....

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसके लिए श्रीमती ...., कोषाध्यक्ष वार्षिक आम सभा के पूर्व अंकेक्षण आपति का निराकरण करें या अनुपालन योजना तैयार करें जिसे वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और अनुमोदन लिया जाना अनिवार्य है ।

प्रस्ताव संख्या- 05 (वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना)

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना श्रीमती ....,सचिव द्वारा जीविका के सहयोग से तैयार किया जाएगा और अनुमोदन हेतु आम सभा समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

प्रस्ताव संख्या- 06 (वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंकेक्षण/ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं आगमी वर्ष 2022-23 का अनुमानित बजट)

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगमी वर्ष 2022-23 का अनुमानित बजट श्रीमती ...., कोषाध्यक्ष द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के सहयोग से तैयार किया जाएगा । वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंकेक्षण/ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं आगमी वर्ष 2022-23 का अनुमानित बजट अनुमोदन हेतु आम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा ।

प्रस्ताव संख्या- 07 (अंकेक्षक की नियुक्ति एवं शुल्क - वित्तीय वर्ष 2021-22)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा समिति के वित्तीय अंकेक्षण (वित्तीय वर्ष 2021-22) हेतु सहयोग किया जा रहा है और कार्यालय आदेश .... और जिला परियोजना समन्वयन इकाई (जीविका) .... के माध्यम से प्राप्त सहकारिता विभाग द्वारा सुचीबद्ध अंकेक्षक द्वारा समिति का वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंकेक्षक कराया गया है, जिसका निर्धारित शुल्क रु०......................... है ।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शुल्क का भुगतान अंकेक्षण आपत्ति निराकरण प्रतिवेदन तैयार करने और आम सभा में अनुमोदन के बाद होगा ।

प्रस्ताव संख्या- 08 (वार्षिक आम सभा हेतु आवश्यक व्यवस्था पर विचार)

वार्षिक आम सभा हेतु आवश्यक व्यवस्था जैसे सदस्यों का निबंधन, जलपान, पानी, टेंट, फ्लेक्स इत्यादि विचार किया गया । सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवश्यक व्यवस्था हेतु निम्न को जिम्मेवारी दी जाती है –

1. सदस्यों का निबंधन- क्लस्टर फैसिलिटेटर।
2. जलपान, टेंट, पानी, फ्लेक्स- प्रोकुरमेंट (अधिप्राप्ति) उपसमिति और निदेशक मंडल के 3 सदस्य।
3. आम सभा समाप्ति के बाद जलपान का बँटवारा – निदेशक मंडल के 4 सदस्य।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गयी ।

....
अध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह .... जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, ... के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक .... की कार्यवाही की मूल प्रति है ।

....
अध्यक्ष

Annexure-III

सूचना बही

दिनांक .... को वार्षिक आम सभा हेतु निदेशक मंडल की बैठक के निर्णय के आलोक में सभी अंशधारी को सूचित किया जाता है कि .... जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा दिनांक...................................... दिन .... को .... बजे अपराह्न/ पुर्वाहन में .... (स्थान) में आयोजित होगी ।

वार्षिक आम सभा में चर्चा एवं अनुमोदन के मुख्य विषय निम्न है-

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंकेक्षण/ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं आगमी वर्ष 2022-23 का अनुमानित बजट
3. वित्तीय अंकेक्षण (वर्ष 2021-22) आपति अनुपालन प्रतिवेदन
4. अंकेक्षक की नियुक्ति, एवं शुल्क (वित्तीय वर्ष 2021-22)
5. समनुषंगी संगठन/ सहायक संगठन का अस्तित्व पर विचार एवं अनुमोदन
6. निर्वाचित निदेशक मंडल के कार्यकाल पर विचार एवं अनुमोदन (यदि निर्वाचन हुआ हो)
7. निदेशक मंडल के निर्वाचन पर विचार (यदि निर्वाचन लंबित हो)
8. निदेशकों, पदधारियों, सदस्यों एवं सामुदायिक कार्यकर्ताओं हेतु आचार संहिता पर विचार एवं अनुमोदन
9. सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी के साथ नये सदस्यों को समिति से जोड़ने पर विचार
10. वार्षिक विवरणी दाखिला पर विचार एवं अनुमोदन
11. समिति एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) के साथ अनुबंध पर विचार
12. समिति विजनिंग पर चर्चा एवं अनुमोदन (केवल मॉडल संकुल स्तरीय संगठनों हेतु)
13. स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन को विशेष उपलब्धि हेतु पुरस्कार दिया जाना।

आप सभी अंशधारी से आग्रह है कि नियत तिथि, दिन, समय, स्थान पर वार्षिक आम सभा में अनिवार्यतः उपस्थिति हो । साथ ही उपरोक्त चर्चा के मुख्य विषय के अलावा अन्य विषयों हेतु आपका सुझाव आमंत्रित है ।

क्र.	अंशधारी का नाम	समूह का नाम	हस्ताक्षर	सुझाव (यदि कोई हो)
1.				
2.				